कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट गौतमबुद्ध नगर।
पत्रांक 1990 /एस0टी0–डी0एम0–कोरोना/2020 दिनांक 21-4-2020

आदेश

उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–11 के शासनादेश संख्या 195/एक –11–2020–रा0–11 दिनांक 24 मार्च,2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–2 की उपधारा (जी) के अन्तर्गत कोविड–19 के कारण फैल रही महामारी को "आपदा" घोषित किया गया है।

कोविड–19 के फैलाव से बचाव एवं नियंत्रण किये जाने के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा विभाग, गौतमबुद्धनगर द्वारा प्रस्तुत की गयी आख्या दिनांक 21.04.2020 में अवगत कराया है कि "जनपद गौतमबुद्धनगर की सीमा दिल्ली से जुड़ी हुई है एवं दिल्ली से गौतमबुद्धनगर आने/जाने वाले व्यक्तियों की संख्या अत्यधिक है। जनपद गौतमबुद्धनगर में कोविड–19 के फैलाव को नियन्त्रण करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यवाही की जा रही है। जनपद गौतमबुद्धनगर में विगत कुछ दिनों में कई ऐसे व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आयी है, जिनका सम्बन्ध किसी न किसी कारण दिल्ली से रहा है।"

चिकित्सा विभाग, गौतमबुद्धनगर की आख्या से स्पष्ट प्रतीत होता है कि दिल्ली–गौतमबुद्धनगर के मध्य आवागमन करने वाले व्यक्तियों से संक्रमण की संभावना है। अतः व्यापक जनहित में अग्रिम आदेशों तक दिल्ली–गौतमबुद्धनगर के मध्य आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबन्धित किया जाता है। निम्नलिखित के आवागमन को इस प्रतिबन्ध से मुक्त रखा गया है :–

1. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो कोविड–19 की सेवाओं में सीधे तौर पर कार्यरत हैं, इस हेतु उ0प्र0सरकार/दिल्ली सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत विधिक पास मान्य होगा।
2. सामग्रियों का परिवहन (Transportation of Goods) करने वाले हल्के/भारी वाहन ही मान्य होंगे और यदि इन वाहनों का प्रयोग अवैध रूप से यात्रियों के परिवहन हेतु पाया जाता है तो उसे तत्काल नियमानुसार जब्त कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
3. एम्बुलेन्स सेवाएँ।
4. भारत सरकार में तैनात उप सचिव एवं उनसे वरिष्ठ अधिकारीगण जिनके पास गृह मन्त्रालय द्वारा निर्गत विधिक पहचान पत्र उपलब्ध है।
5. ऐसे मीडियाकर्मी, जिन्हें अतिरिक्त पुलिस आयुक्त(मुख्यालय) एवं जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा पास निर्गत किये जायेगें, का ही आवागमन अनुमन्य होगा।
6. ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सक जिनके द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर के चिकित्सालयों में आवश्यक/आपातकालीन सेवाएँ प्रदान की जानी हैं, उनकी सूची मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पुलिस आयुक्त को उपलब्ध करायी जायेगी।

उक्त आदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–34 (बी),(सी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है। यदि किसी के द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरूद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–51 से 60 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा–188 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(सुहास एल0वाई0)
जिला मजिस्ट्रेट
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. मुख्य सचिव, दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री), उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव (गृह), उ0प्र0शासन, लखनऊ।
5. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा/नोएडा/यीडा।
7. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
8. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु सभी सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
9. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
10. अपर जिलाधिकारी (वि/च)/(भू0प्र0)/(प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।
11. मुख्य चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
12. जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ कि उक्त हेतु अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) से समन्वय स्थापित करते हुए मीडियाकर्मियों की संख्या को सीमित रखते हुए ई–मेल के माध्यम से ही आवेदन प्राप्त कर पास निर्गत किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

21/4/2020
जिला मजिस्ट्रेट,
गौतमबुद्धनगर।